न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 33/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती बदामी बाई पत्नी श्री माना गाडरी,निवासी गायरियावास, घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुश्री काजल पुत्री श्री माना गाडरी, निवासी गायरियावास, घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री माना गाडरी, निवासी गायरियावास, घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मांगी पुत्री श्री माना गाडरी, निवासी गायरियावास, घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. सुश्री गुड्डी पुत्री माना गाडरी नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती लाली पत्नी माना गाडरी, निवासी गायरियावास, घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर(राज.)
4. श्रीमती देउबाई पत्नी गणेश गायडी (मृतक) के बजाय :–

4/1. मोहनी पुत्री गणेश गाडरी पत्नी कमलाशंकर गाडरी, निवासी महाजन की खेड़ी, गायरियावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. भूरी पुत्री गणेश गाडरी पत्नी लोगर गाडरी, निवासी जसपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार,मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,मावलीदिनांक
08–01–2020प्रकरण संख्या 249/17

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्रीतुलसीरामडांगीअभिभाषकअपीलान्टगण

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं.5

———::———

निर्णयदिनांक22–08–2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षेप में तथ्य इस [illegible] कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, [illegible]88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम घणोली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूषी कृषि आराजी नंबर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। मूल पुरूष माना पिता गणेश गाडरी के 2 पत्नियां लाली व बदामी बाई हैं। माना जी ने अपने जीवनकाल में वादी संख्या 1 बदामी बाई से विवाह किया था, जिनके नुत्फे से एक पुत्री वादी संख्या 2 काजल है। इसी तरह मृतक माना का प्रतिवादी संख्या 1 से विवाह हुआ, जिसके दो पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं तथा मृतक माना की माता प्रतिवादी संख्या 4 है। वादग्रस्त आराजियात में मृतक माना का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार माना की आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हक हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण वादीगण को वादगस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजियात के 2/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–01–2020से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगणद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–03–2020 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण के ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वादीगण के वाद का खण्डन नहीं हुआ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की यह धारण गलत है कि वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जब खण्डन में कोई जवाबदावा ही प्रस्तुत नहीं हुआ, न ही खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई तो दावा डिक्री योग्य था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वडिक्री दिनांक निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने का निवेदन किया।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी नंबर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा माना पिता गणेश एवं देउ पत्नी गणेश गाडरी के खातेदारी में दर्ज है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने भी माना है, किन्तु अपीलान्ट/वादीगण द्वारा माना का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके विधिक वारिसान का प्रमाणित सजरा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलान्ट/वादीगणको माना का वारिस नहीं माना है एवं इस आधार पर उनका वाद खारिज कर दिया। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्रतथा ग्राम पंचायत नामरी द्वारा प्रमाणित सजरे की फोटो प्रतियांप्रस्तुत की हैं, जिससे प्रकट होता है कि अपीलान्ट/वादीगण माना के विधिक वारिस हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–01–2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपील न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–10–2023 को उपस्थित रहें।निर्णय आज दिनांक 22–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested